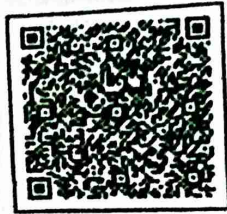




Department of Elementary Education
Govt. of Uttarakhand



APPENDIX-TWO
FORM-2(a)

SEE RULE 17(A) OF THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION
(AMENDMENT) RULES, 2013

Renewal of Application for Registration under RTE

Email : deo.dehradun.dir@gmail.com

Phone Number : 0135-2787028

Fax Number : 0135-2787028

OFFICE OF CHIEF EDUCATION OFFICER Dehradun, Uttarakhand
Letter No : 325949/2026

Dated : 01-08-2026

To,

The Manager,
VIDYASTHAL CHILDREN ACADEMY, BADOWALA, ARCADIAGRANT PREMNAGAR ROAD D.DUN
Dehradun, Dehradun, SAHASPUR, Pin-Code: 248007

Sub: Regarding issue of compliance certificate of prescribed norms and standard of the schedule of RTE Act under Rule 17(A) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2013 for the purpose of section- 19(2) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your school's declaration form received on dated 01-08-2026 I Convey the compliance certificate for prescribed norms and standards of schedule of the Act under SECTION-19(2) of the Act to your school VIDYASTHAL CHILDREN ACADEMY, BADOWALA, ARCADIAGRANT PREMNAGAR ROAD D.DUN, Dehradun, Dehradun, Pin-Code: 248007. The registration/recognition number of your school is RTE-145250 in District Dehradun. This registration/recognition is for the period from 01-08-2026 to 01-08-2031 class Class I to Class VIII in English medium. if prescribed norms and standards of schedule of the Act are violated in future, then action shall be taken for the withdrawal of recognition/no objection certificate according to rule-18 of Uttarakhand Right to Education rules,2011.


P.K. PATET
Manager
VIDYASTHAL CHILDREN ACADEMY
Badowala, Shimla Road, Dehradun


PRINCIPAL
VIDYASTHAL CHILDREN ACADEMY
Badowala, Shimla Road, Dehradun

Your's faithfully,
Chief Education Officer
District Dehradun
Uttarakhand

*This is system generated certificate no signature required.

कार्यालय— मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्राक ई ऑफिस/मान्यता आर टी ई/नवीनीकरण/2026-27/ दिनांक अगस्त, 2026

नवीनीकरण आदेश

इस कार्यालय के पत्राक शिविर (वे/8327-34/नवीनीकरण/2024-25/ दिनांक 06 08 2024 के द्वारा विद्यास्थल चिल्ड्रन एकेडमी, बडोवाला, आरकेडिया ग्रान्ट, सहसपुर, देहरादून(मान्यता कोड-180) को कक्षा-1 से कक्षा-08 तक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 01 08 2023 से 31 07 2026 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत खद्योपणा पत्र एवं उप शिद्दा अधिकारी सहसपुर, देहरादून की स्थलीय निरीक्षण आख्या में नवीनीकरण संस्तुति के आधार पर उक्त विद्यालय को कक्षा-1 से कक्षा-08 तक अंग्रेजी माध्यम (ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 145250 दिनांक 11 07 2026) से विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 01.08.2026 से आगामी 05 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाता है। 05 वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

नोट-नियमानुसार आगामी सत्र में डी.एल.एड., टी.ई.टी.-1,2 शिक्षकों की तैनाती कराना सुनिश्चित करें, उक्त कार्यवाही न होने पर विद्यालय प्रत्याहरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

Digitally signed by

GOVIND RAM JAISWAL

Date: 27-08-2026

14:21:26

(गोविन्द राम जायसवाल)

मुख्य शिक्षा अधिकारी

देहरादून।

पृ0सं0 ई ऑफिस/मान्यता आर.टी.ई./नवीनीकरण/2026-27/ दिनांक तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0), देहरादून।

4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।

5. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य।

मुख्य शिक्षा अधिकारी

देहरादून।